प्रधान मंत्री का उद्घाटन भाषण

राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक

(9 दिसम्बर, 2006)

माननीय मुख्यमंत्रीगण, मंत्रिमंडल सहयोगियो,

केन्द्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण,

विशिष्ट प्रतिनिधिगण,

देवियो और सज्जनों,

मुझे आप सभी का राष्ट्रीय विकास परिषद की 52वीं बैठक में स्वागत करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

हम लोग दसवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर चर्चा करने के लिए जून, 2005 में मिले थे। उस बैठक की भावना विकास संभावनाओं के बारे में एक सतर्क आशावाद थी जिसका ऐसे समूहों के बारे में संतुलित सरोकार था जो विकास के लाभों से वंचित रह गये प्रतीत होते हैं। उस समय से अर्थव्यवस्था में हमारे निष्पादन से विकास संभावनाओं संबंधी हमारा आशावाद सही सिद्ध हुआ है। विकास के लाभों के अपर्याप्त उपलब्धियों के बारे में मध्यावधि मूल्यांकन में जो सरोकार व्यक्त किए गए थे, और जिसे आप में से बहुतों ने अपने विचारों में प्रकट किया था उनसे अब कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं जिनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है और आने वाले वर्षों में इनका और भी बेहतर परिणाम निकलेगा। मध्यावधि मूल्यांकन का समर्थन करते हुए, हमने योजना आयोग को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को तैयार करने का निर्देश दिया था कि वह सरोकार के क्षेत्रों का समाधान करते हुए हमारी अर्थव्यवस्था की संभाव्यताओं पर भी ध्यान दे।

दृष्टिकोण पत्र अब हमारे सामने है। गत वर्ष से भिन्न तरीके से, यह क्षेत्रीय बैठकों में मुख्य मंत्रियों के साथ व्यापक चर्चा के बाद तैयार किया गया है। मुझे ज्ञात है कि

परामर्श की इस प्रक्रिया ने इस प्रलेख को समृद्ध बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात से सहमत होंगे कि इसने हम सभी में वृहत्तर स्वामित्व की भावना पैदा की है।

दृष्टिकोण पत्र का शीर्षक **"तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास की ओर"** ग्यारहवीं योजना में हमारे सामने आने वाली मूल चुनौती को प्रतिबिंबित करता है। हमें तीव्रतर विकास करने की आवश्यकता है क्योंकि, हमारे आय के स्तर पर, इस बात में कोई संशय नहीं है कि यदि हम अपनी जनसंख्या के जीवन-यापन की आर्थिक स्थितियों में व्यापक तौर पर सुधार लाना चाहते हैं, और अपने नवयुवकों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार को बढ़ाना होगा। किन्तु, विकास ही पर्याप्त नहीं है यदि यह ऐसे लाभों के प्रवाह को पैदा नहीं करता है जो कि पर्याप्त रूप से व्यापक हो । हमें एक ऐसी विकास प्रक्रिया की आवश्यकता है जो और अधिक समावेशी हो, जो गरीबी में अधिक तेजी से कमी लाने के लिए गरीबों की आय को बढ़ाये और जो अच्छी गुणवत्ता वाले रोजगार का विस्तार करे और जो जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को भी सुनिश्चित करे।

हमारे उद्देश्यों के बहुआयामी स्वरूप पर बल देने के लिए दृष्टिकोण पत्र न केवल विकास लक्ष्य को विनिर्दिष्ट करता है बल्कि यह रोजगार सृजन, स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की दरों, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर आदि से संबंधित कुछ परिमाणनीय और मानीटरन योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों को भी विनिर्दिष्ट करता है। राज्य सरकार के स्तर पर अधिक प्रभावी मानीटरन की अनुमति देने के लिए और ऐसे बहुत से आयामों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, जिनमें हमें अधिक प्रगति की आशा है, ये राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य 11वीं योजना में राज्य विनिर्दिष्ट लक्ष्यों में विस्तीर्ण कर दिए जायेंगे। योजना आयोग ने राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप व्यष्टिगत राज्यों के लिए लक्ष्यों को परिभाषित करने हेतु

पहले ही एक प्रयास किया है और इन्हें राज्यों को सूचित कर दिया गया है। मैं मुख्य मंत्रियों से अनुरोध करूँगा कि वे इन राज्य विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को अंतिम रूप देने और उन्हें राज्य पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर अपना व्यक्तिगत ध्यान दें।

देवियो और सज्जनों,

दृष्टिकोण पत्र में प्रस्तावित जीडीपी विकास लक्ष्य को, आधार वर्ष में प्राप्त होने वाले 8% के विकास को तेज करके योजना के अंतिम वर्ष में संभावित विकास दर 10% तक लाना शामिल है, जिससे ग्यारहवीं योजना अवधि में औसतन 9% विकास होगा। यह महत्वाकांक्षी है किन्तु व्यवहार्य है। विकास पिछले तीन वर्षों में औसतन 8% रहा है और पुनः इस वर्ष भी इसके इसी स्तर पर बने रहने की संभावना है। इसका अर्थ यह है कि 10वीं योजना के अंतिम चार वर्षों में 8% या इससे अधिक की औसत विकास दर प्राप्त होगी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। यदि हम 11वीं योजना में 9% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो भारत सुनिश्चित रूप से तरह तीव्र विकास करने वाले विकसित देशों की पहली पंक्ति में आ जायेगा। अधिकांश प्रेक्षक विश्वास करते हैं कि हम ऐसे ऐतिहासिक शीर्ष पर हैं जब यह परिवर्तन संभव होगा। अर्थव्यवस्था की बहुत सी सकारात्मक विशेषताएं हैं जिनसे आशावाद को प्रोत्साहन मिलता है। वर्ष 2004-05 में बचत दर जीडीपी के 29% तक बढ़ गयी है और निवेश दर 31% तक बढ़ गयी है । विश्व हमारी संभावनाओं का बहुत अनुकूल मूल्यांकन कर रहा है और यह इस तथ्य में प्रतिबिंबित है कि एफडीआई प्रवाह उत्पलावित है। भारत एक बढ़ता हुआ आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है । भारतीय कंपनियों ने नई-उपलब्धि के विश्वास को विकसित करके सुधारों को अपनाया है। वे स्वदेश में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और आत्मविश्वास से विदेशों में भी जा रही हैं और तेजी से हमारी वैश्विक उपस्थिति को बढ़ा रही हैं। हमारी वित्तीय स्थिति लगातार सुधर रही है। मुद्रास्फीति ने एक समस्या पैदा की है, किन्तु हम इसे 5% के स्तर तक नियंत्रित करने के लिए कृतसंकल्प हैं जिसे दृष्टिकोण पत्र में दर्शाया गया है। ये सभी

सकारात्मक परिणाम हैं किन्तु हम उच्च विकास के परिणाम को निश्चित एवं स्थिर नहीं मान सकते हैं। हमें बहुत सी बाध्यताओं पर काबू पाना है जिनमें से बहुत सी बाध्यताओं के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कठिन नीतिगत परिवर्तन करने की अपेक्षा है। दृष्टिकोण पत्र इन बाध्यताओं की विस्तृत रूप में रूपरेखा प्रस्तुत करता है और समावेशिता को सुनश्चित करते हुए तीव्रतर विकास को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है इसकी भी रूप-रेखा प्रस्तुत करता है। मैं प्रस्तावित कार्यनीति के विभिन्न तत्वों के प्रति आपकी प्रतिक्रियाएं सुनना चाहूँगा। इस स्तर पर मैं केवल कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर ही संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करूंगा जिनके समाधान की आवश्यकता है।

देवियो और सज्जनों,

11वीं योजना में कृषि क्षेत्र में कमजोरियों को दूर करना उच्च प्राथमिकता होगी । 1990 के दशक के मध्य से कृषि क्षेत्रक में विकास 2% प्रतिवर्ष से कम रहा है। जबकि लगभग आधी ग्रामीण जनसंख्या अपनी अधिकांश आमदनी के लिए अभी भी इस पर आश्रित है, हम समावेशी विकास की आशा नहीं कर सकते हैं यदि हम कृषि को पुनर्जीवित नहीं करते । यह मानना महत्त्वपूर्ण है कि यह समस्या केवल वितरण की नहीं है जबकि समृद्ध किसान उन्नति कर रहे हों और छोटे किसान एवं भूमिहीन कठिनाइयों का सामना कर रहे हों। यद्यपि कमजोर वर्ग स्पष्टतया अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनपर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है, समग्र रूप में कृषि संकटग्रस्त है। अतः हमें फसल और गैर-फसल कृषि दोनो में सभी किसानों के लिए उच्च उत्पादकता और आय प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए।

दृष्टिकोण पत्र कृषि के कई आयामों में सुधारात्मक कार्यों की मांग करता है। कृषि के लिए जल एक महत्त्वपूर्ण इनपुट है और हमें जल अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं की पुनःजांच करने की आवश्यकता है। हम सिंचाई पर पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर रहे हैं और

हमारे पास जो है उसका निपुणता से उपयोग नहीं हो रहा है। परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत समय लगता है और संसाधनों का फैलाव अधिक है। विद्यमान सिंचाई प्रणालियों का भी अच्छी तरह से अनुरक्षण नहीं किया जा रहा है। मैं मुख्य मंत्रियों से अनुरोध करूँगा कि वे इस क्षेत्र में संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने की बात को उच्च प्राथमिकता दें ।

सिंचाई में निवेश के अतिरिक्त हमें जल संरक्षित करने और वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृत्रिम रीचार्ज को बढ़ावा देने के उपाय करने चाहिए। इसके लिए संसाधनों और ज्ञान इनपुटों दोनों की आवश्यकता है । केन्द्र सरकार व्यावसायिक निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण को स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो जलसंभर प्रबंधन के तकनीकी रूप से दक्ष डिजाइन के लिए उत्तरदायी होगा।

दृष्टिकोण पत्र में पहचान किए गए कृषि एजेण्डा संबंधी अन्य मुद्दे विशिष्ट फसलों, पर कृषि प्रणालियों और शुष्क भूमि कृषि पद्धतियों ; कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले ज्ञान की कमी को समाप्त करने के लिए उन्नत विस्तार कार्य ; बेहतर बीज और इनपुट ; सहकारी क्रेडिट प्रणाली के नवीकरण सहित क्रेडिट हेतु वर्धित सुविधाएं ; प्रभावी विपणन समाधानों सहित कृषि विविधीकरण के समर्थन हेतु पहल के कार्य ; और भूमि सुधार आदि के अधूरे एजेण्डा को पूरा करने में सकेन्द्रित अनुसंधान की आवश्यकता से संबंधित हैं। मैं इन मुद्दों पर आपके विचार सुनना चाहूँगा । कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एनडीसी समिति द्वारा अगले वर्ष के शुरू तक विशिष्ट सिफारिशें किए जाने की आशा है। इन्हें 11वीं योजना में शामिल किया जाएगा।

देवियो और सज्जनों,

रोजगार सृजन चिन्ता का एक दूसरा क्षेत्र है । हाल के वर्षों में कुल रोजगार के विकास में 1990 के दशक के दूसरे भाग की तुलना में तेजी आई है किन्तु यह विकास

लगभग पूरी तरह गैर-कृषि के असंगठित क्षेत्रक में हुआ है। हमें उन लोगों को गैर-कृषि कार्य के अवसर मुहैया कराने की आवश्यकता है जो कृषि काम छोड़ देते हैं किन्तु हमें संगठित क्षेत्रक में गुणवत्तापूर्ण रोजगारों का सृजन करने की भी आवश्यकता है। दृष्टिकोण पत्र में कई ऐसी नीतिगत पहलों का प्रस्ताव किया गया है जिनसे विनिर्माण क्षेत्रक में तीव्रतर विकास की प्राप्ति होगी और विनिर्माण के भीतर श्रम सघन विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और इससे यूनिटों को छोटी से मध्यम यूनिटों में बदलने और असंगठित से संगठित क्षेत्रक में जाने को प्रोत्साहन मिलेगा।

ये प्रयास श्रम मांग का सृजन करते समय श्रम बल में नए प्रवेशकों की दक्षता को उन्नत करने की कार्यनीति के साथ होने चाहिएं। हमारी जनसंख्या की आयु संरचना ऐसी है कि हमारा सक्रिय श्रम बल अनुपात ऐसे समय बढ़ता रहेगा जबकि अधिकांश औद्योगीकृत देश, और चीन भी, बढ़ते हुए निर्भरता अनुपात का सामना कर रहे हैं । यह एक वरदान है यदि हम एक ऐसा वातावरण पैदा कर सकें जिसमें दक्षता उन्नयन सुनिश्चित हो सके और श्रम सघन विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। यह अभिशाप हो जायेगा यदि हम इन मामलों में असफल रहते हैं।

मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी) का भी उल्लेख करना चाहूँगा जिसे हमने शुरूआत में 200 जिलों में लागू किया है जिसे सभी जिलों में लागू करने की हमारी योजना है। एनआरईजीपी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी देकर एक सामाजिक सुरक्षा संजाल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का ग्रामीण अवसंरचना बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है विशेषकर यदि अन्य स्कीमों से संसाधन भी इसमें सम्मलित कर लिये जाएं ।

देवियों और सज्जनों

अब मैं शिक्षा और कुशलता विकास के मुद्दे पर आता हूँ । शिक्षा सबसे अधिक समानता लाती है और इसीलिए यह समावेशिता सुनिश्चित करने की कुंजी है । सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हमने प्राथमिक शिक्षा में अच्छी शुरूआत की है किन्तु गुणवत्ता में सुधार के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । मध्याह्न भोजन स्कीम(एमडीएमएस) उपस्थिति बढ़ाने के लिए और साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक कारगर साधन बन सकता है । हमें इस स्कीम पर विशेष ध्यान देना चाहिए । मैं इन मुद्दों पर, विशेषतया इस बात पर कि अब तक के आपके अनुभवों के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जाए, आपके विचारों को सुनना चाहूंगा ।

11वीं योजना में हमें प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा से परे जाना होगा । हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी और केन्द्र और राज्यों को मिलकर इस भार का वहन करना होगा । इस क्षेत्र में राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और मैं दृष्टिकोण पत्र में दिए गए सुझावों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा ।

सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त, हमें कुशलता विकास पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । उदाहरण के लिए, हम इस समय 500 आईटीआई के उन्नयन के संबंध में योजना बना रहे हैं, किन्तु हमारे पास जो 6000 आईटीआईज़ हैं उन्हें अगले पांच वर्षों में दुगुना करना होगा और उन सभी का उन्नयन भी करना होगा । केन्द्र सरकार कुशलता विकास संबंधी एक मिशन शुरू करेगी जो वर्तमान प्रशिक्षण अवसंरचना के पूर्ण नवीकरण पर

आधारित होगी। प्रथम उपाय के रूप में, योजना आयोग ने कुशलता विकास के संबंध में एक कार्यबल की नियुक्ति की है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

यह दृष्टिकोण पत्र स्वास्थ्य में संसाधन प्रतिबद्धता की अत्यधिक वृद्धि की आवश्यकता का समर्थन करता है जिसमें हम एशिया के अन्य विकासशील देशों से काफी अधिक पिछड़ रहे हैं । हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली के कार्य में सुधार हो। हमने एनआरएचएम अभी हाल ही में शुरू किया है और हमें इसकी प्रगति को मानीटर करना होगा । उच्च स्तर पर स्वास्थ्य देखरेख में निजी सार्वजनिक भागीदारी में भी, विशेष रूप से, हमारे संसाधन दबाव को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है । यह महत्वपूर्ण है कि हम समेकित बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) की सफलता सुनिश्चित करने के उपाय करें जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को जीवन में सही शुरूआत करने का अधिकार देना है। इस कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी व्यापक बनाना होगा। मैं इन मुद्दों पर राज्यों के विचारों का स्वागत करूंगा ।

देवियों और सज्जनों

अवसंरचना विकास दूसरा क्षेत्र है जिस पर 11वीं योजना में प्राथमिकता से ध्यान देना होगा और इसमें ग्रामीण एवं सामान्य अवसंरचना दोनों को शामिल करना होगा ।

भारत निर्माण कार्यक्रम में ग्रामीण अवसंरचना जैसे कि सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, पेय जल, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास व्यवस्था और ग्रामीण दूरसंचार

सम्पर्कता पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । हमने प्रत्येक राज्य के लिए मानीटरन योग्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनमें जिलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । जो घटक सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है वह ग्रामीण विद्युतीकरण है और इस क्षेत्र में हमें विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है । हम यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प हैं कि भारत निर्माण सफल हो और यह अधिक विकास के लिए लांचिंग पैड बने ।

सामान्य अवसंरचना पर विचार करते हुए यह दृष्टिकोण पत्र द्विअंकीय विकास दर को प्राप्त करने में हमारी एक प्रमुख बाध्यता के रूप में इस क्षेत्र में कमियों की सही पहचान करता है । हमारी सड़कों, रेलवे, पत्तनों और विमान पत्तनों एवं विद्युत क्षेत्र सभी में व्यापक विस्तार तथा गुणवत्तापूर्ण सुधार की आवश्यकता है ।

ऐसे विस्तार के लिए निवेश अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और इन्हें केवल सार्वजनिक क्षेत्र से पूरा नहीं किया जा सकता है । इसलिए इस दृष्टिकोण पत्र में एक कार्यनीति का प्रस्ताव है कि जिन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र प्रवेश करने को अनिच्छुक है वहां अवसंरचना के विकास में सार्वजनिक निवेश का उपयोग किया जाएगा। इसके विपरीत जहां कहीं भी व्यवहार्य हो निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा । केन्द्र ने अवसंरचना में पीपीपी को प्रोत्साहित करने की अच्छी शुरूआत की है । बहुत से राज्यों ने भी इस क्षेत्र में ठोस एवं साहसिक कदम उठाए हैं । हमें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तरह का प्रयास करना होगा कि पीपीपी विश्वसनीय अवसंरचना प्रदान करने में एक साधन के रूप में सफल हो । यहां, मैं विद्युत क्षेत्र के निष्पादन पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहूंगा । एक देश के रूप में हम विद्युत क्षेत्र में उतना निवेश नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए । यह स्वीकार

करना महत्वपूर्ण है कि यदि विद्युत क्षेत्र वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है तो पीपीपी इसका समाधान नहीं हो सकता है। वितरण की कुशलता में सुधार करना और टी एंड डी नुकसान को कम करना महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम क्षमता विस्तार को वित्त पोषित करने में समर्थ नहीं होंगे और न ही पीपीपी को आकर्षित करने में । यह वह क्षेत्र है जो पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के हाथ में है । मैं इस विषय पर आपके विचार जानना चाहूंगा ।

देवियों और सज्जनों,

अब मैं संसाधन के सबसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा। तीव्र विकास के लिए आवश्यक अधिकतर निवेश निजी क्षेत्र से होगा और इसके लिए मजबूत वृहत आर्थिक ढांचे के अनुरक्षण, निवेश अनुकूल वातावरण और एक मजबूत एवं नवीन वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकता है जो विशेषकर लघु और मंझोले उद्यम क्षेत्र में नए उद्यमियों की आवश्यकताओं को पूरा करने मे समर्थ हो । सहकारी ऋण को पुनः चालू करना महत्वपूर्ण है और यह अधिकतर इस बात पर निर्भर होगा कि राज्य सरकारें वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप से लागू करती है या नहीं । फिर भी, इस योजना के उद्देश्यों और महत्वांकाक्षाओं के लिए वृहत्तर योजना की, विशेष रूप से राज्यों में, न केवल सम्पूर्ण रूप से बल्कि जीडीपी के अनुपात के रूप में भी आवश्यकता है । इस दृष्टिकोण पत्र में केन्द्र और राज्यों से संयुक्त रूप से जीडीपी के 2.5 % प्वाइंट तक सकल बजटीय सहायता की मांग की गई है जो दसवीं योजना की सकल बजटीय सहायता की तुलना में अधिक है । यह संभवतः सबसे कम वृद्धि है जिसमें वह महत्वाकांक्षी एजेंडा शामिल होगा जिसे हमने कृषि, अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश के लिए बनाया है । तथापि, हमे यह सुनिश्चित करना

होगा कि इस बजटीय सहायता स्तर को राजकोषीय समझदारी और स्थिरता की कीमत पर न प्राप्त किया जाए ।

विगत में हम सभी ने वित्तीय लापरवाही का सामना करने की दुःखद वास्तविकता का अनुभव किया है, और हमें इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम फिर कभी भी वैसी स्थिति में न आएं । उच्च स्तर के सार्वजनिक व्यय की बहुत से क्षेत्रों में आवश्यकता है, किन्तु इन्हें राजस्व संग्रहण में सुधार करके और व्यय में अधिक कुशलता बरतकर प्राप्त किया जाना चाहिए । विशेषतया 11वीं योजना में जीडीपी के 2.5% प्वाइंट तक सकल बजटीय सहायता बढ़ाने की हमारी कुशलता प्रकट और अप्रकट सब्सिडियों के नियंत्रण, राजस्व उत्प्लावकता, ऐसे चालू कार्यक्रमों में काट-छांट करना जो कि बहुत उपयोगी नहीं हैं और अवसंरचना में बड़े पैमाने पर पीपीपी का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने पर निर्भर करेगा । हमे इन क्षेत्रों में सर्जनात्मक रुप से विचार करने की आवश्यकता है तथा हमे विगत की प्रथाओं को छोड़ने से भयभीत नहीं होना चाहिए ।

एक महत्वपूर्ण समस्या जिसका कि हम सामना करते हैं वह केन्द्र और राज्यों के बीच उत्तरदायित्वों के वहन से संबंधित है । कुछ समय से, केन्द्र के अधिकतर संसाधन ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां मुख्य उत्तरदायित्व राज्यों का है । ऐसे कार्यक्रमों की कुल लागत में राज्य का अधिक अंशदान होना चाहिए । इससे कार्यान्वयन में स्वामित्व और कुशलता की भावना बढ़ेगी। सौभाग्यवश, राज्यों की संसाधन स्थिति से इस दिशा में विश्वसनीय प्रयास संभव है । अपनी ओर से केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के डिजाइन और क्रियान्वयन में राज्यों को लचीलापन प्रदान करे ।

देवियों और सज्जनों,

मुझे विश्वास है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं । अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के कार्यक्रमों के साथ साथ कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश, और सामान्य अवसंरचना की आवश्यक सार्वजनिक निवेश में आवश्यकताएं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करना होगा । हमें ऐसी नवीन योजनाएं बनानी होंगी जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक, को विकास के लाभों में बराबर की हिस्सेदारी करने हेतु सशक्त किया जा सके । इनका संसाधनों पर प्रथम अधिकार होना चाहिए । केन्द्र के पास असंख्य अन्य उत्तरदायित्व हैं जिनकी मांगों का इसके समग्र संसाधन उपलब्धता के अंतर्गत सामंजस्य करना होगा। योजना आयोग वास्तव में उन चालू कार्यक्रमों को समाप्त करने की पूरी समीक्षा करेगा जिनका मूल औचित्य समाप्त हो गया है किन्तु हम इस तथ्य से बच नहीं सकते हैं कि केन्द्रीय संसाधनो पर निकट भविष्य में दबाव बढ़ेगा तथा इस जिम्मेदारी का अधिकतर हिस्सा राज्यों को वहन करना होगा । बढ़ते हुए उत्तरदायित्व को राज्यों द्वारा वहन किया जाना होगा ।

11वीं योजना ऐसे समय पर शुरू हो रही है जब हमारे राष्ट्र की आर्थिक संभावनाओं ने यह संभव बना दिया है कि हम अपने संस्थापक पूर्वजों के सपनों को चरितार्थ कर सकें - जिसमें एक ऐसा भारत हो जो समृद्ध एवं समतामूलक हो; एक ऐसा भारत जो सेवाभाव वाला और समावेशी हो; एक ऐसा भारत जो प्रत्येक नागरिक को उसके कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त

करने और उसे अपनी सम्पूर्ण सम्भाव्यता के अनुरूप अवसर प्रदान करता हो। 11वीं योजना मे वह सपना पूरा होना चाहिए । इसे हमारी जनता की उच्च आशाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में समर्थ होना चाहिए ।

योजना आयोग ने राज्यों और अन्य पणधारियों के साथ गहन विचार विमर्श के बाद दृष्टिकोण दस्तावेज को तैयार करने का प्रशंसनीय कार्य किया है । मैं योजना आयोग की ऐसी राष्ट्रीय कार्यनीतियों ओर कार्यक्रमों को स्पष्ट करने के लिए प्रशंसा करता हूं जिनका उद्देश्य राष्ट्रों की मंडली में भारत के उचित स्थान को सुरक्षित करना है । राष्ट्र को विज़न और सपने दोनों की आवश्यकता है । योजना इन सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने का एक साधन है । अब मैं उपाध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमारी चर्चा की प्रस्तावना के रूप में दृष्टिकोण पत्र पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतीकरण पेश करें।

▪ ▪ ▪ ▪ ▪